आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–51 / 2023

31.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती दैवती सिंह, सचिव, वनमाला महिला मण्डल एवं अन्य, शहरखेड़ा, चाण्डिल, सरायकेला–खरसावाँ आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ आयोग कार्यालय में उपस्थित।

शिकायतकर्ता सहित महिला मण्डल के अन्य सदस्य आयोग की सुनवाई में उपस्थित रहे, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ उपस्थित हैं। शिकायतकर्ता ने वनमाला महिला मण्डल, शहरबेड़ा के विरूद्ध कई गंभीर आरोप लगाये हैं। सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भी यह माना कि जाँच के दौरान वनमाला महिला मण्डल, शहरबेड़ा की संचालिका श्रीमती सरस्वती सिंह सरदार द्वारा गड़बड़ी करने के प्रमाण पाये गये। इस आधार पर उनके दुकान को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता एवं उनके अन्य उपस्थित सदस्य वनमाला महिला मण्डल के अध्यक्ष को हटा कर उसके पुनर्गठन के आदेश की अपेक्षा आयोग से रख रहे हैं। आयोग के अधिकार क्षेत्र में इस तरह का आदेश पारित करना नहीं है। यह विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बीच शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उक्त जनवितरण प्रणाली दुकान की संचालिका द्वारा 04 बोरा गेहूँ के गबन करने को रंगे हाथ पकड़ा गया था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि गबन किये गये 04 बोरा गेहूँ उक्त जनवितरण प्रणाली दुकान की संचालिका द्वारा वापस कर दिया गया। शिकायतकर्ता, श्री विजय कुमार तंतुबाई जो पूरे शिकायतकर्तागण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका कहना है कि गेहूँ वापस किया गया है या नहीं, इस आशय की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन लाभुकों को गेहूँ उपलब्ध नहीं कराया गया। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायतकर्ताओं के समूह की तरफ से इस आशय की भी जानकारी दी है कि उन्हें वर्ष–2011 से अब तक निर्धारित वजन से कम अनाज उपलब्ध कराया जाता रहा है।

इस संदर्भ में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे उक्त जनवितरण प्रणाली के दुकान की संचालिका के सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच कर यह पता करें कि कितने लाभुकों को गेहूँ उपलब्ध नहीं कराया गया एवं चावल कम दिया गया। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश भी देता है कि जितने लाभुकों को गेहूँ उपलब्ध नहीं कराया गया या चावल कम उपलब्ध कराया गया, उतनी मात्रा के गेहूँ एवं चावल की रिकवरी उक्त दुकान से करा कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि जनवितरण प्रणाली के दुकानदार इस संदर्भ में सहयोग नहीं करते हैं, तो जिला

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आपूर्ति पदाधिकारी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर, कृत कार्रवाई से आयोग को अगली सुनवाई में अवगत कराएँ। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।